

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

संदर्भ संख्या : सी-१/एन०ओ०सी/जी-४४९/२०१५  
टी० सी० १२ वी, विभूति खाड़,  
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या : सी-१/एन०ओ०सी/जी-४४९/२०१५

सेवा में,

मैसर्स अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लिंग,  
“अदित्या चल्डे” भरत भवन, १० न्यू राजधानी इन्कलेचर,  
फ्रीटी विहार, मेट्रो स्टेशन, दिलास मार्ग, देहली-११००६२

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नई इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपने आवेदन पत्र दिनोंक-१५/९/२०१४ का संदर्भ ले। आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा कृपया अलगत हो कि उच्चोग को पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवम् सामन्य शर्तों (संलग्नक) के समुक्त अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

4. अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विकल्पों के लिए ही निर्गम किया जा रहा है :-

(क) स्थल- भैसर्स अदित्या चल्डे सिटी, प्रमोटर्स अग्रवाल एसोसिएट्स लिंग,  
चाहपुर नगर, नेशनल हाईवे-२४  
गोजियाबाद।

निमाण किया जाये।

(ख) उत्पादन : कुल विलम्बप एरिया १३९५५९६.०९८ पर

आवासीय एवं कामशीर्यल परियोजना

(ट) मुख्य कच्चे माल - बिल्डिंग मैट्रियल, आदि

(घ) अँडोगिल उत्पाद की मात्रा:- शून्य

इरेन्ट उत्पाद की नात्रा:- 4641 कें एल0 डी0 / दिन

(इ) प्रयुक्त इधन :- डी0 जी0 सेट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2- उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हाइट पट्टिलळा, उत्पाद कुद्दिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्राप्ति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दरमी तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तक तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवम् वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रभ्रम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त ला अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों ले अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध लिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्रवाही की जा सकती है।

4- उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का परीक्षण चुनियोजित किया जाये।

मैसर्स अदित्या कल्डे शिंगी, प्रभोटर मैसर्स अग्रवाल एसोसिएट्स लिंग

શાહપુર વાહેટા. નેથાનિલ હાંડવે-24, ગાજિયાબાદ

- ५— घरेलू उत्पावाह, जिसकी मात्रा ४६४। के० एल० डी० से अधिक नहीं होगी। प्रस्तावनुसार एस० टी०पी० के माध्यम से डैडूच्चा निर्धारित मानकों के अनुपर <sup>८०.८</sup> निर्माण किया जाये।

६— प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित खुद्दिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिये गये भैसर्स आवाल एसोसिएट्स लिमिटेड, (प्रमोटर), की आवासीय परियोजना “अदित्य वल्ड फिटी,” शाहुपुर बाहेटा, नाजियावाद में युल हिल्डअप परिया १३६५५६६.०६८ पर आवासीय एवं कामर्शियल परियोजना का निर्माण कार्य किया जाये। निर्माण कार्य में भूर्ग जल का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

७— संरक्षा द्वारा प्रस्तावनुसार ४६४। के० एल० डी० उत्पावाह के शुद्धिकरण हेतु ५५५०. के० एल० डी० क्षमता के० एस० टी० डी० स्थापित किया जायेगा।

८— संरक्षा द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी०जी० सेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।

९— सालिल वेस्ट नैनोजोन्ट १८० रुपये ३५० रुपये २००० के प्राविधानों के अनुसार किया जाये।

१०— म्युनिसीपल अध्योरिटी द्वारा बायोडिग्रिड्युल वेस्ट के निरसारण हेतु मुविधा स्थापित न किये जाने की स्थिति ने संरक्षा द्वारा उक्त का निरसारण परिसर के अन्दर वर्मीकम्पोस्टिंग / बायोकम्पोस्टिंग के द्वारा किया जाये।

११— समर्त प्रस्तावित डी०जी०सेट पर व्यनि सोबत व्यवस्थाओं के साथ साथ प्रस्तावनुसार दियनी भी स्थापित किया जाये।

१२— संरक्षा प्रस्तावनुसार ऐन वाटर हॉस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

१३— संरक्षा द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार/सेट इन्डियारमेंट इम्पेक्ट असेलमेंट अर्थोरिटी से पर्यावरणीय कलीयरेन्ट प्राप्त किया जाये।

१४— यह अनापूर्त प्राप्ति पत्र की वैधता पैदा वर्ष या बैंक गतरणी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो गाय होगी।

१५— संरक्षा को निर्गत बैंक गतरणी पत्रांक— एफ-प्र०८८२/सी-१/एन०४००८००-जी-८८८/२०१४ दिनांक ८/११/२०१५ का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संरक्षा द्वारा प्रतिक्रिया बैंक गतरणी बोर्ड के पक्ष में अवस्कृत की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संरक्षा के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

-४-

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशेष शर्तों एवम् सामान्य शर्तों का प्रभावी एवम्  
संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड  
का अधिकार इरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाय।  
उपर्युक्त विशेष एवं सामान्य शर्तों के संबंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में 30.6.2015 तक प्रथम  
अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति  
निरस्त कर दी जाएगी।

महाराष्ट्र,

  
सर्दार सचिव

पुस्तकालय सं०

/एन०ओ०सी०

तदनिनैक :

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, ज़ोप्रोप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
(सूत्त-१)